नहीं हुये। अतः प्रकरण अदम पैरवी। अदम तामीमे खारिज किया जाता है प्रार्थिका पक्ष फैसल डिक्री होकर प्रतिवादी संख्या 3 के प्रार्थिका पक्ष नम्बर से कम हो। बाद तकमील आदेश पत्रावली फैसलशुदा होकर रोक से पेश हो।